पत्र संख्या-आई0टी0- (SIB/प्रवर्तन Module)/चालान संग्रहण-(2015-16) / 483/1516031 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // अगस्त, 13 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/(कार्यपालक)
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आई0टी0 बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14 / 642 / वाणिज्य कर दिनांक 30-08-2013 से सचल दल इकाईयों द्वारा संकलित किये गये टैक्स इनवाइस, सेल इनवाइस व परचेज इनवाइस की आनलाइन फीडिंग की व्यवस्था की गयी है।

व्यापारियों के द्वारा प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त के बाहर माल की बिक्री, बिक्री हेतु प्रेषण अथवा स्टाक ट्रान्सफर के रुप में माल का प्रेषण **चालान** के माध्यम से भी किया जाता है। बिल फीडिंग माड्यूल में चालान का विवरण अंकित करने की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण इस माध्यम से होने वाले सम्व्यवहार की आनलाइन मानीटरिंग सम्भव नही हो पाती है जिससे राजस्व के क्षरण की सम्भावना बनी रहती है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत चालान फीडिंग की आनलाइन व्यवस्था साफ्टवेयर में करायी गयी है, प्रक्रिया निम्नवत है :-

परिपत्र संख्या-आई0टी0 बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14 / 642 / वाणिज्य कर दिनांक 30-08-2013 में उद्धृत व्यवस्था के अनुसार ही सचल दल अधिकारी द्वारा Enforcement Mobile Receipt Entry पर click करने के साथ ही स्क्रीन पर टैक्स इनवाइस, सेल इनवाइस व परचेज इनवाइस के विकल्प के साथ चालान का विकल्प भी उपलब्ध हो जायेगा। जिसके रेडियो बटन को click करने पर निम्न प्रारुप में ग्रिड उपलब्ध होगा :-

1- माल प्रेषक का टिन 2- माल प्राप्तकर्ता का टिन 3- चालान नम्बर 4- चालान का दिनांक 5- कमोडिटी 6- क्वान्टिटी 7- यूनिट 8- माल का अनुमानित मूल्य (घोषित होने की स्थिति में अन्यथा NA) 9-वाहन संख्या 10- रिमार्क 11- चेकिंग दिनांक,

यदि क्रेता अपंजीकृत हो तो टिन नम्बर के स्थान पर 09 000 000 000 अंकित किया जायेगा। इसके पश्चात Add बटन पर click करने पर नई इन्ट्री फील्ड उपलब्ध हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मोबाइल बिल इन्ट्री के आफलाइन टूल (एक्सेल शीट) में भी चालान विवरणों के अंकन हेतु शीट उपलब्ध है। इसमें उपरोक्तानुसार विवरण अंकित करके वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार Mobile OCS में लाग इन करके अपलोड किया जायेगा।

उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 30-08-2013 के द्वारा टैक्स इनवाइस, सेल इनवाइस एवं परचेज इनवाइस की फीडिंग व सत्यापन के सम्बन्ध में प्रसारित व्यवस्था के अनुरुप ही संग्रहीत चालानों की फीडिंग व सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

सचल दल अधिकारियों द्वारा बिल प्रेषण माड्यूल में चालानों की आनलाइन इन्ट्री वैकल्पिक रुप से दिनांक 31-08-2015 तक की जा सकेगी। दिनांक 01-09-2015 से यह कार्य अनिवार्य रुप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13/08/15
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।